15 को 18 गोवंशियों की मौत, 16 को हाई कोर्ट की फटकार

27 को फिर गईं 24 जानें

13 दिनों के भीतर अब तक 42 मवेशियों की हो चुकी है मौत

49 नंबर के नेशनल हाईवे पर मृत पड़े थे गोवंश

नईदुनिया में पूर्व में प्रकाशित खबरें

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: जिले की सड़कें बेजुबानों की कब्रगाह बनती जा रही हैं। इस बार नेशनल हाईवे 49 में एक ही रात में दो अलग-अलग जगहों पर हुई घटनाओं में अज्ञात वाहनों ने 30 गोवंशों को कुचल दिया। इससे 24 मवेशियों ने दम तोड़ दिया। इससे पहले 15 जुलाई को ही रतनपुर क्षेत्र में एनएच 130 पर हादसे में 18 गोवंशियों की मौत हो गई थी। 16 जुलाई को हाई कोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान लेकर राज्य शासन को कड़ी फटकार लगाई थी। तब प्रशासन की ओर से मवेशी पालकों व वाहन चालकों को जागरूक व कार्रवाई करने की बात कही गई थी। इधर, धरातल पर फिर मौत ही सामने आई है।

पुलिस के अनुसार ग्राम पंचायत धुमा के सरपंच बृजेश दुबे ने चकरभाठा थाने को सूचना दी कि नेशनल हाईवे 49 कडार-सारधा के पास अज्ञात वाहन ने 23 गौवंशियों को चपेट में ले लिया हैं। इनमें से 17 मवेशियों की मौत हो गई है व पांच गंभीर रूप से घायल हैं। सरपंच बृजेश दुबे ने बताया कि उन्होंने गौवंशियों का अंतिम संस्कार किया है। सरपंच की शिकायत पर चकरभाठा पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। दूसरी घटना मस्तूरी क्षेत्र के एनएच 49 में लावर मोड के पास हुई, जिसकी शिकायत ढेका निवासी विकास यादव ने मस्तूरी थाने में दर्ज कराई है। विकास ने बताया कि सोमवार तड़के दो से तीन बजे के बीच लावर मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने छह गौवंशियों को कुचल दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई है। प्रार्थी की शिकायत पर मस्तूरी पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है। दोनों मामलो में थानों की पुलिस अज्ञात वाहन व उसके चालक की तलाश कर रही है।

> नेशनल हाइवे 130 में अज्ञात वाहन ने 23 गोवंशों को कुचल दिया, जिनमें 17 गौवंशियों की मौके पर ही मौत हो गई। छह गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच के बाद धुमा सरपंच की शिकायत पर अपराध दर्ज कर लिया है। मामले में अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है।
>
> -उत्तम साहू, चकरभाठा थाना प्रभारी

> नेशनल हाईवे लावर के पास सड़क दुर्घटना में छह गौवंशियों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया था। दुर्घटना में सभी गौवंशियों की मौत हो गई है। शिकायत पर मामले की जांच कर अज्ञात वाहन चालक का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
>
> -हरिश टांडेकर, मस्तूरी थाना प्रभारी

मवेशियों को लेकर कोई योजना नहीं जिला प्रशासन के पास

राष्ट्रीय राजमार्ग व जिले की अन्य सड़कों पर गोवंशियों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन के पास कोई योजना नहीं है। इसी वजह से इन वे लगातार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, तो कई मामलो में यह जनहानि की वजह भी बन रहे हैं। यही कारण है कि खुले में घूमते मवेशी न तो सुरक्षित हैं और न ही वाहन चालकों के लिए सुरक्षित वातावरण बन पा रहा है।

मस्तूरी एनएच 49 में इस तरह पड़ी थीं गोवंशों की लाशें। ● नईदुनिया

हाई कोर्ट लगातार दे रहा है निर्देश

गौवंशों की सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कई बार राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को दिशा-निर्देश दे चुका है। कोर्ट ने सड़कों पर घूमते मवेशियों को हटाने स्थायी समाधान खोजने के निर्देश दिए हैं, ताकि गोवंशियों के साथ होने वाली दुर्घटनाएं रोका जा सके। हाई कोर्ट की फटकार के बाद भी जिला प्रशासन केवल जागरूकता अभियान की बात कहकर खुद को बचाने में लगा हुआ है।

लगातार बढ़ रहीं गोवंशों के साथ दुर्घटनाएं

गोवंशियों की बड़ी संख्या में वाहन के पहिए से रौंदने से हुई मौत के ये पहले या दूसरे मामले नहीं है। इससे पहले भी कई मौतें हो चुकी हैं। वर्ष 2024 में दो बड़ी घटनाओं में 23 मवेशी राष्ट्रीय राजमार्ग में अपनी जान गंवा चुके हैं। वही भारतमाला प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के दौरान भी भारी वाहनों से 17 मवेशियों की मौत हुई थी।